जगमोहन यादव
आई.पी.एस.

परिपत्र संख्याः डीजी–54/2015

पुलिस महानिदेशक,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0,
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांकः जुलाई 14 ,2015

प्रिय महोदय,

राज्य के विभिन्न जनपदों से काफी संख्या में लोग अपनी कतिपय समस्याओं को लेकर डीजीपी मुख्यालय/जोनल मुख्यालय/परिक्षेत्र मुख्यालय/जनपद मुख्यालय पर उपस्थित होकर अपने शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं। शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राप्त हो रहे प्रकरणों में से बड़ी संख्या में जन–शिकायतें, विभिन्न प्रकरणों में पंजीकृत मुकद्मों की विवेचनात्मक कार्यवाही सही ढंग से न किये जाने से संबंधित होती है। ऐसे मामलों में प्रकरण की प्रकृति के अनुरूप जॉच एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की समीक्षा करके निष्पक्ष कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

2. ऐसे प्रकरणों के संबंध में भेजी जा रही जांच आख्याओं के परिशीलन से यह पाया जा रहा है कि जिन प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत है उनमें प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में जांच/पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या में आरोपों के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है। प्रेषित आख्या में विवेचना प्रचलित है, जांच की आवश्यकता नही है, का उल्लेख करते हुए जॉच आख्यायें प्रेषित की जा रही हैं। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। जांच का उद्देश्य विवेचना की निष्पक्षता पर लगाये गये आरोपों की तथ्यों के आधार पर समीक्षा कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

3. पुलिस रेगुलेशन व दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही पर्यवेक्षण अधिकारी के स्तर से विशेष आख्या से संबंधित प्रकरणों में समय–समय पर स्पेशल रिपोर्ट और तत्पश्चात पर्यवेक्षण आख्या व क्रमागत आख्या प्रेषित की जाती है, जिसमें कृत कार्यवाही का विवरण, समीक्षात्मक टिप्पणी एवं निर्देश अंकित किये जाते है, परन्तु गैर एस0आर0 केसेज से संबंधित प्रकरणों में जब उच्चाधिकारियों के स्तर से समीक्षात्मक रिपोर्ट मॉगी जाती है तो प्राप्त आख्याओं में एकरूपता व गुणवत्ता नहीं पायी जा रही है।

4. गैर एस0आर0 केसेज से सम्बन्धित जॉच आख्या के प्रेषण में गुणवत्तापरक आख्या अपेक्षित है। ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर उच्चाधिकारियों के स्तर से आवेदक को सन्तुष्ट किया जा सके। ऐसा न हो पाने के कारण आवेदक बार–बार उपस्थित होता है, यह स्थिति उचित नही है। इससे विभाग की छवि खराब होती है एवं कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

5. अतएव भविष्य में जब भी किसी प्रकरण से सम्बन्धित पंजीकृत एस0आर0 केसेज अथवा गैर एस0आर0 केसेज के संबंध में किसी भी स्तर से समीक्षात्मक आख्या मॉगी जाय तो संलग्न प्रारूप में आख्या प्रेषित की जाए। यह ध्यान रखें कि आख्या में अनावश्यक सूचनाओं का समावेश न करें। लम्बे–लम्बे बयानों को अक्षरशः अंकित न कर शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों के दृष्टिगत संक्षिप्त प्रासंगिक विवरण अंकित करें।

विवेचना सम्बंधी जॉच आख्या का प्रारूप

1. अपराध संख्या
2. थाना
3. अन्तर्गत धारा
4. दिनांक घटना/सूचना(यदि अपराध देर से पंजीकृत हुआ है तो विलंब का कारण एवं टिप्पणी)
5. विवेचक का नाम
6. नामजद अभियुक्तों का विवरण
7. प्रकाश में आये अभियुक्त
8. गलत पाये गये अभियुक्त एवं गलत पाने का आधार
9. गिरफ्तारी/हाजिर अदालत (अभियुक्तवार दिनांक सहित).
10. गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्त के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण (दिनांक सहित)
11. जॉच अधिकारी द्वारा लिये गये बयानों का संक्षिप्त प्रासंगिक विवरण
12. आवेदनकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं/आरोपों पर बिन्दुवार टिप्पणी
13. जांच में विवेचना की गुणवत्ता अथवा कमियों के सम्बन्ध में टिप्पणी/संस्तुति अंकित की जाए
14. यदि विवाद का मूल कारण जमीन सम्बंधी हो तो उसके निस्तारण हेतु सम्बंधित विभाग को सूचित करने का दिनांक अंकित कर कृत कार्यवाही का विवरण एवं टिप्पणी
15. स्थानीय पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण एवं टिप्पणी
16. उपरोक्त समीक्षा के आधार पर कृत कार्यवाही का विवरण

सभी स्तरों से विवेचना सम्बन्धी जॉच आख्या उपरोक्त प्रारूप में मांगी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि जॉच आख्या तथ्यपरक एवं सारगर्भित हो ताकि पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सके। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे उपरोक्त समीक्षा के आधार पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(जगमोहन यादव) 14/7/15

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/
समस्त परिक्षेत्रीयपुलिस उप महानिरीक्षक/
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश /समस्त पी.ए.सी. वाहिनियाँ/जी.आर.पी. मुख्यालय